विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 1053 दिनांक : 9/8/17

प्रति,

प्राचार्य,
महाकाल इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट,
कड़छा रोड़, दताना हवाई पट्टी के पिछे,
देवास रोड़,,उज्जैन।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता–निरंतरता आवेदन क्रमांक / 111,दिनांक 10.04.2017

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत नवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जाने / संबद्धता / **सम्बद्धता–निरंतरता** प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2017 में प्रस्तुत किया गया,जिसमें निर्णय लिया गया कि,"महाकाल इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट,उज्जैन में सत्र 2017–18, से एम.बी.ए.पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उक्त महाविद्यालय को सत्र 2017–18 से एम.बी.ए.पाठ्यक्रम की सशर्त अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने के शपथ पत्र के आधार पर सशर्त प्रदान की जाये।"

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2017–18 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरतर प्रदान की जाती है :–

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	एम.बी.ए.	120

शर्तें :–01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण कर विश्वविद्यालय को अवगत करावें, अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2017/2031   दिनांक :- 7/6/17

-:: सूचना ::-

शिक्षा सत्र 2017-18 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/पूर्व स्वीकृत संख्या में वृद्धि/सम्बद्धता-निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनियम क्रमांक 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया है :-

A   महाविद्यालय का नाम :- **महाकाल इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उज्जैन।**

B   आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :- (1) एम.बी.ए.

C   समिति के सदस्यों के नाम :-

01. प्रो. आर.के. जैन - आचार्य,पं.ज.ने.व्यवसाय प्रबंध संस्थान, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
02. डॉ. डी.डी. बेदिया - निदेशक,पं.ज.ने.व्यवसाय प्रबंध संस्थान, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
03. प्रो. आर.के. ढण्ड - संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि, वे निरीक्षण प्रतिवेदन में परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर पूर्व एवं वर्तमान का सम्बद्धता शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ प्राधिकृत, संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र भवन,क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम आर्डिनेंस तथा पिछले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी विषयों की सम्बद्धता की शर्तों की पूर्ति जय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट अनुशंसाए अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाऐं/संसाधन के भौतिक सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ कि कृपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडीयोग्राफी की सी.डी. की प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जा सके। विडीयोग्राफी के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक यात्रा भत्ता तथा समिति द्वारा प्रयुक्त वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर..02

विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा

महाविद्यालय का नाम :- महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (MIM), उज्जैन

निरीक्षण तिथि 18/07/2017

सम्बद्धता हेतु पाठ्यक्रम/विषय .... द्वितीय एम.बी.ए. (पूर्णकालिक)

सम्बद्धता हेतु प्रस्ताव :-

1. ~~प्रस्तावित नवीन महाविद्यालय की सम्बद्धता।~~
2. ✓ पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/विषय/नवीन पाठ्यक्रम की निरन्तरता/सम्बद्धता हेतु।
3. ~~पूर्व स्वीकृत विद्यार्थियो की संख्या मे वृद्धि।~~
4. ~~स्थाई सम्बद्धता।~~

~~महाविद्यालय का निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति ने किया।~~

निरीक्षण समिति की अनुशंसा निम्नानुसार है :-

परिनियम क्र. 27 एवं 28 के अनुसार महाविद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अध्यापन हेतु उपलब्ध संसाधनो व सुविधाओं के अवलोकन एवं उनकी उपलब्धता के समर्थन में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर समिति अनुशंसा करती है, कि महाविद्यालय को आवेदित उपरोक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु सत्र 2017-18 में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने/~~सीट वृद्धि करने~~ पर विचार किया जा सकता है।

महाविद्यालय में उपरोक्त पाठ्यक्रम/विषय में निम्नानुसार अधिकतम विद्यार्थियो की प्रवेश संख्या के साथ अस्थायी सम्बद्धता दी/~~सीट वृद्धि~~ की जा सकती है :-

पाठ्यक्रम का नाम	अधिकतम सीट संख्या
द्वितीय एम.बी.ए. (पूर्णकालिक)	120

निरिक्षण समिति यह अनुशंसा करती है कि महाविद्यालय को निम्नांकित बिन्दुओं की पूर्ति अतिशीघ्र करने की प्रत्याशा में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की/सीटों में वृद्धि की जा सकती है।

01. College अध्या-28 में संकाय सदस्यों का चयन हो चुका है (10 वे वर्तमान में कार्यरत हैं
02. संस्थान में आधारभूत संरचना व सुविधाएँ पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं)।
03. पुस्तकालय में पुस्तकें हैं व नये जर्नल, मैगज़ीन के अभिदान/ऑर्डर दिए गए हैं।

~~04. संस्थान में कम्प्यूटर सेन्टर सुचारू रूप से संचालित है।~~

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह अनुशंसा की जाती है कि संस्थान को एम.बी.ए. पाठ्यक्रम की निरन्तरता/सम्बद्धता अस्थायी रूप से प्रदान करने की स्वीकृति दी जावे।

सदस्य सदस्य

18/07/2017 (सहायक कुलसचिव अकादमिक - संयोजक)

(Dr. Ravindra K. Jain)

18/7/17 (DR. D.D. Bedia)

D:/vyas80

2 क

कार्यालय, आयुक्त,उच्च शिक्षा, म०प्र०शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल

[illegible] /आत शि/तक०/गा-13/03, भोपाल, दिनांक:

प्रति,

1- सचिव,
म०प्र०शासन,
तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशक,
भोपाल [illegible]

सचिव,
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद,
नई दिल्ली

विषय:- एम०बी०ए० की अनुमति बाबत ।

संदर्भ:- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का पत्र दिनांक- 14.5.2003 एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का पत्र दिनांक- 18.11.2002 एवं विश्वविद्यालय का पत्र दिनांक- 17.7.2003.

[illegible] के प्रकाश शिक्षा एवं सेवा संस्थान, उज्जैन द्वारा महाकाल [illegible], उज्जैन में सत्र 2003-04 से एम०बी०ए० पाठ्यक्रम प्रारंभ [illegible] आयुक्त,उच्च शिक्षा से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु [illegible] है ।

[illegible] में अनुसार अवगत कराया जाता है कि संस्था को म०प्र० [illegible] नियमों, विनियमों तथा अधिनियमों के तहत महाविद्यालय को इस [illegible] अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है । संबंधित संस्था द्वारा [illegible] भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली एवं म०प्र०शासन, तकनीकी शिक्षा [illegible] निदेशक तथा अन्य संबंधित विभागों के निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने का [illegible] होगा । किसी प्रकार की गलत जानकारी के लिए संस्था जिम्मेदार होगी ।

"आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

संयुक्त संचालक(एस०के०)
उच्च शिक्षा, म०प्र०शासन, भोपाल.

[illegible]/3436 /आत शि/तक०/गा-13/03, भोपाल, दिनांक: 28-7-03
प्रतिलिपि:-
1- कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन.
2- प्राचार्य, महाकाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी, उज्जैन.
3- अध्यक्ष, प्रकाश शिक्षा एवं सेवा संस्थान, उज्जैन.

29/7/03

संयुक्त संचालक (एस०के०)
उच्च शिक्षा, म०प्र०शासन, भोपाल